संख्या-92/2021/786/71-1-2021-जी-111/2018टी0सी0

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 जून, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क फेज-।। के अन्तर्गत 132 के0वी0 सब स्टेशन भटहट फर्टिलाइजरी (लगभग 08 कि0मी0 दूरी) से मेडिकल कालेज में स्थित 33/11 के0वी0 सब स्टेशन को भूमिगत लाइन के द्वारा ऊर्जीकृत किये जाने संबंधी कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के 3332/बीआरजी/एमसी-20/अनु0, दिनॉक 03.12.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क फेज-।। के अन्तर्गत 132 के0वी0 सब स्टेशन भटहट फर्टिलाइजरी (लगभग 08 कि0मी0 दूरी) से मेडिकल कालेज में स्थित 33/11 के0वी0 सब स्टेशन को भूमिगत लाइन के द्वारा ऊर्जीकृत किये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 1185.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 474.04 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-107//2020/3230/71-1-20-जी-111/2018टी0सी0, दिनॉक 11-09-2020 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनॉक 03.12.2020 द्वारा किये गये अनुरोध एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1145सी0एम0यू0(डी)/ई0ई0-6/मेडिकल कालेज, गोरखपुर, दिनॉक 31.03.2021 द्वारा दर्शायी गई विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 132 के0वी0 सब स्टेशन भटहट फर्टिलाइजरी (लगभग 08 कि0मी0 दूरी) से मेडिकल कालेज में स्थित 33/11 के0वी0 सब स्टेशन को भूमिगत लाइन के द्वारा ऊर्जीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू0 711.06 लाख (रू0 सात करोड़ ग्यारह लाख छः हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- प्रायोजना का निर्माण कार्य 03 माह की समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- शासनादेश संख्या-107//2020/3230/71-1-20-जी-111/2018टी0सी0, दिनॉक 11-09-2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एलोपैथी-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
4- संयुक्त सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (सा0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, ए-708, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ।
7- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
8- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
10- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, रापूतीनगर, गोरखपुर।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।